

8.5.19

PAU 2248
9/5/19

DmCHS (PH)
35

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.12(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2019/आर-2139

जयपुर, दिनांक : 01.05.2019

Address Copy

AADOC/8

आदेश

डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को मुकदमा संख्या 55/19 धारा 499 ए, 406, 354 आईपीसी के अन्तर्गत पंजीबद्ध करवाये जाने के बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर डा. काबरा को दिनांक 16.04.2019 को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 24.04.2019 तक पीसी रिमाण्ड (पुलिस हिरासत में) रहने के उपरान्त दिनांक 24.04.2019 को मा. न्यायालय के आदेशों की पालना में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 16.04.2019 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been Suspended) के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।


पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात डा. रवि काबरा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. काबरा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय !
- 2- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 5- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति पंजिका में डा. काबरा की उपस्थिति दर्ज करावें तथा डा. काबरा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अतिरिक्त निवेदन की व्यवस्था करावें।
- 7- डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा निदेशक जन स्वास्थ्य के माध्यम से
- कम्प्यूटर सेल
- निजी /रक्षित पत्रावली


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीबी/सीएस/आर-519/2019/ 345

दिनांक : 14-5-19

प्रतिगिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 12(1)चिस्वा/2/19/आर-2139 दिनांक 01.05.2019 के क्रम में।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० रवि काबरा, चि.अ. हाल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को निलम्बित काल में उपस्थिति हेतु निदेशालय जयपुर को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें एवं प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 01.05.19 तामील करवा कर तामील रसीद 3 प्रतियों में भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. अति० प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन/एटी अनुभाग, मुख्यालय।
6. डॉ० रवि काबरा, चि.अ. हाल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

8. सर्वेक्षण को गेठ कार्यालय है कि
वि.म.स. की सर्वेक्षण पर अपनी ओर से
अ.न.क.

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।